न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 303/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

1. जलौर सिंह पुत्र बख्शी सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

1. चंद सिंह पुत्र श्री गंडा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. नाजर सिंह पुत्र श्री संता सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. ईशर सिंह पुत्र जलौर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. प्रवीण कुमार पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. इन्द्रजीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह उर्फ जलमिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. गुरूद्वारा सिंह सभा हरिपुरा जरिये पाठी गुरूद्वारा सिंह सभा हरिपुरा
7. जसवीर सिंह पुत्र श्री जगनंदन सिंह जाति जटसिख निवासी 13 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज. (विलोपित)
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया
9. एचडीएफसी बैंक शाखा संगरिया
10. एसबीबीजे बैंक शाखा संगरिया
11. ओबीसी बैंक शाखा हरीपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री सुशील कुमार एडवोकेट (वादीगण)
2. श्री देवेन्द्र सिह एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 6)
3. तहसीलदार संगरिया राज—परोकार (प्रति.संख्या 8)
4. श्री हनुमन्त चौधरी एडवोकेट (प्रति.संख्या 10)
5. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया (प्रति.संख्या 11)

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः— 20.12.2022

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के नाम से चक 3 एसटीपी के खाता सं. 23/21 खाता चंद सिंह वगैरहा में 0.147 है. व चक 3 एसटीपी के खाता सं. 37/36 खाता में 1.514 है. इस प्रतिवादीगण की कुल कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

चक 3 एसटीपी के खाता सं. 23/21

प.नं.	मु. नं.	किला नं.
180/120	32	6, 15, 16/प्रत्येक 0.228
181/120	33	9, 10, 11, 20 कुल 1.772 है. मय गैर मुमकीन खाला

चक 3 एसटीपी के खाता सं. 37/36

प.नं.	मु. नं.	किला नं.
180/118	18	6, 15, 16, 25/प्रत्येक 0.228
181/118	19	10, 11, 20,21
182/119	23	10, 11, 20
181/119	24	7, 8, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24 प्रत्येक 0.253 है. 20/0.223
180/119	25	5, 6, 15, 16, 25/प्रत्येक 0.228
180/120	32	5/0.164
181/120	33	1 ता 4/प्रत्येक 0.215, 5/0.190 कुल 9.081 है. मय गै.मु.खाला रास्ता

वादी व उसके भाईयों जरनैल सिंह, जलमिन्द्र सिंह के नाम से दोनो खातों में कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादी व उसके भाईयों जरनैल सिंह, जलमिन्द्र सिंह के नाम से खाता संत्र 23/21 में. 0.886 है. में 1/2 हिस्सा में प्रत्येक का बहिस्सा बराबर अर्थात 1/3 हिस्सा अर्थात 0:147 है.

20/12
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

प्रत्येक का हिस्सा बनता है। इसी प्रकार खाता सं. 37/36 में तीनों भाईयों का 9.081 है. में 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा अर्थात 1.513 है. व 1.514 है. हिस्सा बनता है। जरनैल सिंह ने अपना हिस्सा ईशर सिंह को विक्रय कर दिया। जरनैल सिंह द्वारा अपना हिस्सा खाता सं. 23/21 में ईशर सिंह को विक्रय करने के कारण ईशर सिंह का कुल हिस्सा पूर्व में 0.253 है. के साथ जुड़कर 0.400 है. हिस्सा हो गया तथा खाता सं. 37/36 में जरनैल सिंह द्वारा अपना समस्त हिस्सा ईशर सिंह पुत्र जलौर सिंह को विक्रय कर दिया। इस प्रकार जरनैल सिंह द्वारा अपना समस्त हिस्सा विक्रय करने के उपरांत कृषि भूमि में जरनैल सिंह का कोई हिस्सा नहीं रहा। वादी के भाई जलमिन्द्र सिंह उर्फ जरनैल सिंह की मृत्यु हो गई। जलमिन्द्र सिंह उर्फ जरनैल सिंह की मृत्यु के बाद चक 3 एसटीपी के खाता सं. 23/21 में वर्णित कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा वादी का हिस्सा गलत रूप से जसविन्द्र सिंह के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया जिसका इंतकाल सं. 439 दिनांक 04.07.2016 दर्ज किया गया उसी दिन सरजीत कौर वगैरहा द्वारा अपना समस्त हिस्सा इन्द्रजीत पुत्र जसविन्द्र सिंह के हक में जरिये दस्तबरदारी त्याग कर दिया गया। इस हिस्सा को त्याग करने के बाद इन्द्रजीत के नाम 0.295 है. कृषि भूमि का नामांतरण कर दिया गया जबकि वास्तव में इन्द्रजीत के नाम से 0.147 है. कृषि भूमि ही बनती थी शेष कृषि भूमि वादी की है जो गलत रूप से प्रतिवादी इन्द्रजीत के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जो गई, इन्द्रजीत के नाम उक्त नामांतरण होने से समस्त हिस्सा का जोड़ गलत हो गया जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी व दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है वादी व प्रतिवादीगण का कृषि भूमि पर संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आज तक इस कृषि भूमि को लेकर कभी बंटवारा नहीं हुआ। वादी का समस्त प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक इंच पर कब्जा चला आ रहा है। वादी अच्छी मंदी के हिसाब से रास्ता खाला की सुविधा को देखते हुए समस्त कृषि भूमि का अपने हक व हिस्सा तक विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रतिवादी इन्द्रजीत वाद पत्र की चरण सं. 03 में वर्णित चक 3 एसटीपी के खाता सं. 23/21 में हुए गलत नामांतरण का फायदा उठाते हुए कृषि भूमि को अन्यंत्र व्यक्तियों को रहनबैय करने के लिए प्रयासरत है तथा इसी प्रयास स्वरूप प्रतिवादी इन्द्रजीत द्वारा गांव के व्यक्तियों से कृषि भूमि के विक्रय करने के संदर्भ में वार्ता प्रारंभ कर दी है तथा प्रतिवादी इन्द्रजीत द्वारा स्पष्ट धमकी दी जा रही है कि वह अतिशीघ्र अपने नाम से हुए गलत नामांतरण का फायदा उठाते हुए कृषि भूमि को रहनबैय कर देगा यदि प्रतिवादी इन्द्रजीत गलत रूप से अपने नाम का मनमाना फायदा उठाते हुए अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि को बेचान कर देता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अनेकों कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न होगी। प्रतिवादी इन्द्रजीत के कृषि भूमि को विक्रय कर देने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों से नहीं आंका जा सकता क्योंकि अंत में हिस्सा कस्सी में वादी का हिस्सा कम होने की संभावना है ऐसी परिस्थितियों में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित चक 3 एसटीपी के खाता सं. 23/21 में वर्णित कृषि भूमि को अन्यंत्र व्यक्तियों को रहनबैय करने से निषेध रहे। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वह चलकर वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मानते हुए अच्छी मंदी के हिसाब से कृषि भूमि का विभाजन करवा लेंवे पहले तो प्रतिवादीगण आजकल करते रहे अंत में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कृषि भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से रास्ता खाला की सुविधा के अनुसार विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का शाश्वत व्यादेश जारी किया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण सं. 02 में वर्णित कृषि भूमि को अन्यंत्र रहनबैय करने से निषेध रहें तथा अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलवाये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रति.सं. 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 8 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 9 बावजूद तामिल उपस्थित नही। प्रतिवादी संख्या 10,11 बैक की तरफ से जवाब दावा पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की और से जवाब बैक हित सुरक्षित रखते हुए डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई। प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। वकील वादी ने चक 3 एसटीपी खाता संख्या 50/23 व खाता संख्या 9/35 की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 प्रस्तुत की गई।

प्रमाणित प्रतिलिपि

...कलेक्टर एव

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते कथन किया कि जमाबन्दी चक 3 एसटीपी खाता संख्या 23/21 खाता चंद सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 एवं इसी चक के खाता संख्या 37/36 खाता नाजर सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का वादग्रस्त आराजी को लेकर आपस में राजीनामा हो जाने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादग्रस्त आराजी के सह–काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरुप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:–

1. वादी जलौर सिह के हक हिस्सा में कुल 1.6425 है. नहरी 1.5175 है. खाला 0.102 है. व रास्ता 0.023 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:– तहसील संगरिया के चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/119	24	20/1/0.223 है. 21/0.253 है.
180/119	25	6/2/0.120 है. 15,16,25/0.210 है. प्र. 49/16/0.076 है. खाला 49/17/0.015 है. खाला
180/120	32	5/1/0.0844 है. 49/22/0.011 है. खाला 53/4/0.017 है. रास्ता 6/1/0.1124 है. 15/1/0.0562 है.
181/120	33	1/1/0.0385 है. 53/4/0.006 है. रास्ता कुल 1.6425 है.नहरी 1.5175 है. खाला 0.102 है. रास्ता 0.023 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी संख्या 1 चंद सिह के हक हिस्सा में कुल 2.3887 है. नहरी 2.2767 है. खाला 0.004 है. व रास्ता 0.108 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:–चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
182/119	23	10,11,20/0.253 है.प्र.
181/119	24	6/0.228 है. 7,14/0.1266 है. प्र. 15,16/0.228 है.प्र. 17,24/0.1266 है. 25/0.228 है. 52/12/0.101 है. रास्ता
180/120	32	5/2/0.0331 है. 49/22/0.004 है. खाला 53/4/0.007 है. रास्ता 6/2/0.0442 है. 15/2/0.022 है. कुल 2.3887 है. नहरी 2.2767 है. खाला 0.004 है. व रास्ता 0.108 है.

3. प्रतिवादी संख्या 2 नाजर सिह के हक हिस्सा में कुल 2.6917 है. नहरी 2.4677 है. खाला 0.210 है. व रास्ता 0.014 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
180/118	18	5,15,16,25/0.228 है.प्र. 49/17/0.101 है. खाला
181/118	19	10,11,20,21/0.253 है.प्र.
180/119	25	5/0.228 है. 6/1/0.108 है. 49/17/0.036 है. खाला 15,16,25/0.018 है.प्र.
180/120	32	5/3/0.0465 है. 49/22/0.010 है. खाला 53/4/0.014 है. रास्ता, 6/3/0.0714 है. 15/3/0.0358 है. 49/15/0.038 है. खाला 49/16/0.025 है. खाला कुल 2.6917 है. नहरी 2.4677 है. खाला 0.210 है. रास्ता 0.014 है.

4. प्रतिवादी संख्या 3 ईशर सिह के हक हिस्सा में कुल 1.9795 है. नहरी 1.7705 है. खाला 0.209 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/120	33	1/2/0.1765 है. 2,3,4/0.215 है.प्र. 5/0.190 है. 53/4/0.184 है. रास्ता, 52/12/0.025 है. रास्ता 9/0.253 है. 11,20/0.253 है.प्र. कुल 1.9795 है. नहरी 1.7705 है. रास्ता 0.209 है.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. प्रतिवादी संख्या 4 प्रवीण कुमार के हक हिस्सा में कुल 0.380 है. नहरी 0.342 है. खाला 0.038 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
180/120	32	15/4/0.114, 16/0.228, 49/15/0.038 है. खाला कुल 0.380 है. नहरी 0.342 है. खाला 0.038 है.

20/12
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

6. प्रतिवादी संख्या 5 इन्द्रजीत सिह के हक हिस्सा में कुल 1.5176 है. नहरी निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:- चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/119	24	7/1/0.1264,8,13/0.253 है.प्र. 14/1/0.1264 है. 17/1/0.1264 है. 18,,23/0.253 है. प्र. 24/1/0.1264 है. कुल 1.5176 है. नहरी

7. प्रतिवादी संख्या 6 गुरूद्वारा सिंह सभा जरिये प्रधान बलवीर सिह गुरूद्वारा सिह सभा के हक हिस्सा में आई है:- चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/120	33	10/0.253 है. कुल 0.253 है. नहरी

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल, शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

20/12/22

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 53/88 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 303/2019

1. जलौर सिंह पुत्र बख्शी सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

1. चंद सिंह पुत्र श्री गंडा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. नाजर सिंह पुत्र श्री संता सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. ईशर सिंह पुत्र जलौर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. प्रवीण कुमार पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. इन्द्रजीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह उर्फ जलमिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. गुरूद्वारा सिंह सभा हरिपुरा जरिये पाठी गुरूद्वारा सिंह सभा हरिपुरा
7. जसवीर सिंह पुत्र श्री जगनंदन सिंह जाति जटसिख निवासी 13 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज. (विलोपित)
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया
9. एचडीएफसी बैंक शाखा संगरिया
10. एसबीबीजे बैंक शाखा संगरिया
11. ओबीसी बैंक शाखा हरीपुरा

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला श्री देवेन्द्र सिह, संजय साहेवाल, रविन्द्र कुमार भाबिया प्रतिवादीगण एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती हैः–

1 वादी जलौर सिह के हक हिस्सा में कुल 1.6425 है. नहरी 1.5175 है. खाला 0.102 है. व रास्ता 0.023 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई हैः– तहसील संगरिया के चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/119	24	20/1/0.223 है. 21/0.253 है.
180/119	25	6/2/0.120 है. 15,16,25/0.210 है. प्र. 49/16/0.076 है. खाला 49/17/0. 015 है. खाला
180/120	32	5/1/0.0844 है. 49/22/0.011 है. खाला 53/4/0.017 है. रास्ता 6/1/0. 1124 है. 15/1/0.0562 है.
181/120	33	1/1/0.0385 है. 53/4/0.006 है. रास्ता कुल 1.6425 है.नहरी 1.5175 है. खाला 0.102 है. रास्ता 0.023 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी संख्या 1 चंद सिह के हक हिस्सा में कुल 2.3887 है. नहरी 2.2767 है. खाला 0.004 है. व रास्ता 0.108 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई हैः–चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
182/119	23	10,11,20/0.253 है.प्र.
181/119	24	6/0.228 है. 7,14/0.1266 है. प्र. 15,16/0.228 है.प्र. 17,24/0.1266 है. 25/0. 228 है. 52/12/0.101 है. रास्ता
180/120	32	5/2/0.0331 है. 49/22/0.004 है. खाला 53/4/0.007 है. रास्ता 6/2/0. 0442 है. 15/2/0.022 है. कुल 2.3887 है. नहरी 2.2767 है. खाला 0.004 है. व रास्ता 0.108 है.

3 प्रतिवादी संख्या 2 नाजर सिह के हक हिस्सा में कुल 2.6917 है. नहरी 2.4677 है. खाला 0.210 है. व रास्ता 0.014 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई हैः– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
180/118	18	5,15,16,25/0.228 है.प्र. 49/17/0.101 है. खाला
181/118	19	10,11,20,21/0.253 है.प्र.
180/119	25	5/0.228 है. 6/.1/0.108 है. 49/17/0.036 है. खाला 15,16,25/0.018 है.प्र.
180/120	32	5/3/0.0465 है. 49/22/0.010 है. खाला 53/4/0.014 है. रास्ता, 6/3/0. 0714 है. 15/3/0.0358 है. 49/15/0.038 है. खाला 49/16/0.025 है. खाला कुल 2.6917 है. नहरी 2.4677 है. खाला 0.210 है. रास्ता 0.014 है.

20/12

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

4 प्रतिवादी संख्या 3 ईशर सिह के हक हिस्सा में कुल 1.9795 है. नहरी 1.7705 है. खाला 0.209 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/120	33	1/2/0.1765 है. 2,3,4/0.215 है.प्र. 5/0.190 है. 53/4/0.184 है. रास्ता, 52/12/0.025 है. रास्ता 9/0.253 है. 11,20/0.253 है.प्र. कुल 1.9795 है. नहरी 1.7705 है. रास्ता 0.209 है.

5 प्रतिवादी संख्या 4 प्रवीण कुमार के हक हिस्सा में कुल 0.380 है. नहरी 0.342 है. खाला 0.038 है. की निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
180/120	32	15/4/0.114, 16/0.228, 49/15/0.038 है. खाला कुल 0.380 है. नहरी 0.342 है. खाला 0.038 है.

6 प्रतिवादी संख्या 5 इन्द्रजीत सिह के हक हिस्सा में कुल 1.5176 है. नहरी निम्न कृषि भूमि हक व हिस्सा में आई है:– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/119	24	7/1/0.1264,8,13/0.253 है.प्र. 14/1/0.1264 है. 17/1/0.1264 है. 18,,23/0.253 है. प्र. 24/1/0.1264 है. कुल 1.5176 है. नहरी

7 प्रतिवादी संख्या 6 गुरूद्वारा सिंह सभा जरिये प्रधान बलवीर सिह गुरूद्वारा सिह सभा के हक हिस्सा में आई है:– चक 3 एसटीपी

प.न.	मु.न.	कि.नं.
181/120	33	10/0.253 है. कुल 0.253 है. नहरी

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल/ठल/ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया।

20/12/22

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official